उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

एच0आर0सी0ए0 वाद सं0 01/2011–12

गोपाल पंजियारा ....अपीलकर्ता

बनाम

राज कुमार हिम्मतसिंहका ....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

13/05/2016

यह एच0आर0सी0ए0 वाद सं0 01/2011–12 गोपाल पंजियारा बनाम् राज कुमार हिम्मतसिंहका के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका –सह– मकान नियंत्रक, दुमका के एच0आर0सी0 वाद सं0 14/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता उत्तरकारी के मकान का किरायेदार है। उक्त मकान का किराया निम्न न्यायालय के एच0आर0सी0 वाद सं0 70/1990–91 आदेश दिनांक 15.03.1993 द्वारा 500.00रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। इस आदेश का सम्पुष्टि माननीय आयुक्त के एच0आर0सी0 रिविजन वाद सं0 01/1994–95 आदेश दिनांक 12.05.2004 द्वारा भी किया गया है। तत्पश्चात उत्तरकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध Eviction Suit Civil Court, Dumka में दायर किया गया जो वर्त्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में लंबित है जिसका केस नं0 एस0ए0 नं0 212/2004 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 09.11.2004 को आदेश दिया गया कि अपीलकर्त्ता घर भाड़ा 500.00 रूपये प्रतिमाह Execution Case No- 04/2004 जो सिविल कोर्ट, दुमका में चल रहा है, में प्रत्येक माह के 15 तारीख तक जमा करें। वर्त्तमान में अपीलकर्त्ता द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रत्येक माह मकान किराया जमा कर रहें है जिसे उत्तरकारी स्वीकार कर भुगतान प्राप्त कर रहें है। अपीलकर्त्ता द्वारा मई –2016 तक का किराया जमा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित रहते निम्न न्यायालय द्वारा पुनः भाड़ा निर्धारण किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 23 वर्ष पूर्व मकान किराया निर्धारित किया गया था। नया किराया नियमानुसार निर्धारित किया जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मासिक किराया सिविल कोर्ट, दुमका के Execution Case No- 04/2004 में प्रतिमाह जमा किया जा रहा है। संबंधित वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित रहते निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाता है तथा अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।